पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0–एस0ओ0 1533 दिनॉक– 14.09.2006 के प्राविधानों के अंतर्गत मै0 गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट–डिस्टलरी (ए यूनिट आफ बलरामपुर चीनी मिल्स लि0) ग्राम–रूद्रपुर,गुलरिया पो0–नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ, तहसील गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी में 160 के.एल.डी. क्षमता का शीरा आधारित आसवनी इकाई एवं 08 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लाण्ट की स्थापना के प्रस्ताव पर दिनॉक–22.02.2019 के अपरान्ह 1.00 बजे चयनित स्थल पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई की कार्यवृत्त की विवरणी :

दिनॉक 22.02.2019 को जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुर खीरी की अध्यक्षता में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित उद्योग मै0 गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट–डिस्टलरी (ए यूनिट आफ बलरामपुर चीनी मिल्स लि0) ग्राम–रूद्रपुर,गुलरिया पो0–नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ, तहसील गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी में 160 के.एल.डी. क्षमता का शीरा आधारित आसवनी इकाई एवं 08 मेगावाट को–जनरेशन पावर प्लाण्ट की स्थापना के प्रस्ताव पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोक सुनवाई आयोजित की गयी, जिसकी उपस्थिति संलग्न है ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, डा0 राम करन द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति मुख्य अतिथि एवं अन्य आगन्तुकों का स्वागत करते हुये लोक सुनवाई पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई प्रारम्भ की गयी । क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि *पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई0आई0ए0 अधिसूचना सं0 एस.ओ. 1533 दिनॉक–14.09.2006 Schedule (See Paragraph 2 and 7) के Project or Activity 5 (g) के प्राविधानों के अंतर्गत आच्छादित है । पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कराया जाना प्राविधानित है ।* राज्य बोर्ड को प्रेषित प्रस्ताव पर लोक सुनवाई कराये जाने हेतु उक्त के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय, लखीमापुर खीरी द्वारा मै0 गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट–डिस्टलरी (ए यूनिट आफ बलरामपुर चीनी मिल्स लि0) ग्राम–रूद्रपुर,गुलरिया पो0–नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ, तहसील गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी में स्थित नियत स्थल पर दिनॉक– 22.02.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे लोक सुनवाई नियत की गयी, जिस हेतु आम सूचना 30 दिन का समय देते हुये राष्ट्रीय स्तर पर टाइम्स आफ इंडिया में दिनॉक– 20.01.2019 को एवं दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान लखनऊ संस्करण में दिनांक 21.01.2019 को आम जनता की आपत्ति वं सुझाव हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी है ।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आम नागरिकों एवं जन–मानस को जानकारी देते हुये बताया गया कि बलरामपुर चीनी मील्स द्वारा स्थापित मै0 गुलरिया चीनी मिल्स 8000टन/दिन केनक्रिसिम क्षमता की चीनी मिल्स स्थापित है। पूर्व से स्थापित चीनी इकाई द्वारा 160 किली0 प्रतिदिन क्षमता की शीरा आधारित आसवनी इकाई तथा 08 मेगावाट का कोजनरेशन पावर प्लाण्ट लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में लोक सुनवाई की यह प्रकिया निर्धारित की गयी है । परियोजना में जल/वायु प्रदूषण व्यवस्था के पूर्ण प्रबन्ध किया जाना प्राविधानित किया गया है । परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार संस्था में मै0 ऐसेन्सी इन्वायरो प्रा0लि0 द्वारा प्रोजेक्ट, द्वारा परियोजना के आस–पास की पर्यावरणीय गुणवत्ता का अध्ययन कराया गया है । परियोजना से जल प्रदूषण होने की सम्भावना बहुत कम है, क्योंकि परियोजना में जीरो डिस्जार्च व्यवस्था पर आधारित तकनीक का प्रयोग किया जायेगा। उद्योग में स्टीम जनरेशन हेतु 60 टन प्रति घंटा क्षमता का 01 नग स्लोप फायर्ड ब्वायलर स्थापित किया जाना प्रास्तावित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई0एस0पी0) के साथ

72 मी0 ऊँची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जायेगा । डी0जी0 सेट को एकास्टिक इन्क्लोजर्स में रखा जाना तथा बोर्ड मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित किया जाना प्राविधानित है । इस प्रकार परियोजना में जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण की पूरी व्यवस्था की जायेगी । परियोजना के संचालन के उपरान्त जनित हैर्जाड्स वेस्ट को बोर्ड से प्राधिकृत टी0एस0डी0एफ0 संस्था को भेजा जायेगा जिसके लिये टी0एस0डी0एफ0 से अनुबन्ध किया जायेगा।

परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरण, वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से टी0ओ0आर0 (टोर) प्राप्त है। प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में कोई लिखित आपत्ति/सुझाव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को किसी अन्य विभाग के माध्यम से प्राप्त नहीं हुयी है।

श्री एन0के0अग्रवाल अधिशासी अध्यक्ष, मैसर्स गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट–डिस्टलरी गुलरिया, द्वारा सभी उपस्थिति अधिकारियों एवं आम जनता का स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुये अवगत कराया कि मेसर्स गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट–डिस्टलरी (ए यूनिट आफ बलरामपुर चीनी मिल्स लि0) ग्राम–रूद्रपुर,गुलरिया पो0–नौसार गुलरिया, ब्लाक बिजुआ, तहसील गोला गोकर्णनाथ जिला लखीमपुर खीरी के निकटतम शहर/कस्बा लखीमपुर खीरी (33.8 किमी0 पूर्व दिशा में) एन.एच. 90 (स्थल के उत्तर दिशा में परिसर से सटा हुआ), गोला गोकर्णन नाथ रेलवे स्टेशन(24.1 किमी0 उत्तर–पश्चिम दिशा में) तहसील–गोला गोकर्णन नाथ, जनपद–लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ई0आई0ए0 (इन्वायरमेन्टल इम्पैक्ट एसेसमेन्ट) रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तवित इकाई का कुल क्षेत्रफल 87470.00वर्ग मी0 है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि परियोजना द्वारा ई0आई0ए0 अधिसूचना सं0–1533, दिनांक 14.09.2006 के अनुसार परियोजना औद्योगिक क्षेत्र से बाहर स्थित है। अतः परियोजना अनुसूची 5 (g) के अन्तर्गत श्रेणी ए में आता है तथा परियोजना की स्थापना हेतु टी0ओ0आर0 (टोर) प्राप्त है।

तदोपरान्त परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री डा0 मनोज गर्ग, पर्यावरण सलाहकार, मै0 ऐसेन्सी इन्वायरो प्रा0लि0 द्वारा, उपस्थित जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्रीय अधिकारी, उप जिलाधिकारी गोला गोकर्णन नाथ, ईकाई के अधिशासी अध्यक्ष एवं उपस्थित आम जनता के समक्ष अपनी बात रखते हुये अवगत कराया कि इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में शीरा (मोलेसेस) का प्रयोग कर एथनाल/एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल/रेक्टीफाइड स्प्रिट का उत्पादन किया जायेगा । परियोजना में शीरा की कुल आवश्यकता 720 टन प्रतिदिन होगी जो स्वयं की चीनी मिल से पाइप लाइन के माध्यम से व सड़क द्वारा वाहन के माध्यम से आपूर्ति किया जायेगा, जिसके भण्डारण के लिये स्टील टैक स्थापित किया किया जायेगा । परियोजना में लगभग 300 किली0 प्रतिदिन सान्द्रित स्पेण्टवाश, बैगास 255 टन/दिन की आवश्यकता होगी । डिस्टीलरी शून्य प्रवाह निर्वहन पर आधारित होगी । स्पेण्टवाश विषलेषक कॉलम से उत्पन्न स्पेण्टवाश को इन्टीग्रेटेड एवं स्टैण्ड अलोन मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर में सान्द्रित किया जायेगा । पूर्ण इन्सीरेशन के लिये विशेष ब्वायलर में डाल दिया जायेगा । पूरा स्पेण्टवाश सान्द्रित हो जायेगा एवं जला दिया जायेगा, जिससे पर्यावरण में कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा । प्रकिया कन्डनसेट एम.ई.ई. से उत्पन्न कंडनसेट को सी.पी.यू. में उपचारित एवं पॉलिश किया जायेगा और प्रकिया एवं कूलिंग टावर में पुनः चक्रित किया जायेगा । सान्द्रित स्पेण्टवाश को स्लोप फायर्ड बॉयलर में पूरक ईधन बैगास के साथ इनसिनिरेट किया जायेगा ।

परियोजना में औद्योगिक प्रकिया में जल 960 किली0 प्रतिदिन तथा घरेलू प्रयोजन में 20 किली0/दिन प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है, जिसका मुख्य स्रोत भूजल है, जिसके लिये केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनुमति प्राप्त किया जायेगा। इकाई में कुल विद्युत खपत 4.5 मेगावाट होगा, जिसकी आपूर्ति सह विद्युत उत्पाद संयंत्र से की जायेगी । अवशेष विद्युत को राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की ग्रिड को बेच दिया जायेगा। परियोजना की कुल लागत 208.74 करोड है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के उपाय के लिये रू0 110 करोड खर्च किये जायेगे। परियोजना का कुल कार्य दिवस 365 दिन होगा ।

.....3.....

उद्योग में 60 टी0पी0एच0 क्षमता का 01 स्लोप फायर्ड ब्वायलर स्थापित किया जायेगा, जिसमें ईधन दहन के कारण कण और गैसीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई0एस0पी0) स्थापित किया जायेगा तथा 72 मी0 ऊँची चिमनी स्थापित की जायेगी । ब्वायलर में ईधन के रूप में लगभग 300 किली0 प्रतिदिन सान्द्रित स्पेण्टवाश, बैगास 255 टन/दिन प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है । इकाई के संचालन के दौरान ब्वायलर से जनित राख 60 टन प्रतिदिन जनित होगी, जिसका निस्तारण लो लाइन्ड एरिया में जमीन की भराई हेतु प्रयोग किया जायेगा । परियोजना में प्रस्तावित डी0जी0 सेट को एकास्टिक एन्क्लोजर में रखा जायेगा तथा डी0जी0 सेट में चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित की जायेगी तथा आन्तरिक सड़कों को पक्का एवं नियमित रूप से साफ किया जायेगा । परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिये नियमित निगरानी की जायेगी । चिमनी उत्सर्जन की नियमित निगरानी के लिये ऑन लाईन निगरानी प्रणाली स्थापित की जायेगी । 33 प्रतिशत कुल संयंत्र क्षेत्र भूमि पर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा । आवेदक के प्रतिनिधि ने परियोजना की आर्थिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि परियोजना से आस–पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य के लिए राजस्व वसूली में वृद्धि होगी, जो जनपद के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

लोक सुनवाई के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रश्न पूछे गये जिसके उत्तर पर्यावरण सलाहकार मै0 गुलरिया चीनी मिल्स यूनिट–डिस्टलरी ग्राम–गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी द्वारा निम्नानुसार दिया गया ।

प्रश्न 1– श्री विजय सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम–पड़रियातुला, खीरी द्वारा प्रश्न किया गया कि इकाई द्वारा वर्षा जल संरक्षण के लिये क्या किया जायेगा ?

उत्तर – डा0 मनोज गर्ग, पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई में केन्द्रीय भू–जल अथारिटी से अनुमति प्राप्त करने पर ही कुल जल दोहन का आधा रिचार्ज किये जाने का प्राविधान है, जिसमें इकाई परिसर के बाहर गांव के तालाबों को गोद लेकर उनके सौर्दयीकरण तथा जल के रिचार्जिंग किये जाने हेतु कटिबद्ध है। तालाबों के रिचार्जिंग हेतु लगभग 9 एकड़ तक तालाबों का चिन्हीकरण किया जायेगा, जिसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया जायेगा।

प्रश्न 2– श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय, ग्राम प्रधान, ग्राम–गुदिया गांव, खीरी ने प्रश्न किया कि क्षेत्र में उद्योग लगने से आम जनता को क्या–क्या फायदे होंगे ?

उत्तर – श्री एन0के0 अग्रवाल, अधिशासी अध्यक्ष, चीनी मिल द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे द्वारा आस–पास के गांव के पहले के नव जवानों को वरीयता के आधार पर भर्ती किया जाता है। इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा शिक्षित नव जवानों को अप्रेन्टिस प्रशिक्षण भी कराते है जो अपने कार्यों को सीख कर अन्य इकाइयों में भी रोजगार के लिये चले जाते है।

प्रश्न 3– श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम–लोकहा, खीरी द्वारा प्रश्न किया गया कि उद्योग से गन्दा पानी निकलता है, जिससे प्रदूशण होता है, उसे रोकने के लिये क्या करेंगे ?

उत्तर– श्री श्री एन0के0 अग्रवाल, अधिशासी अध्यक्ष, चीनी मिल द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदूशित जल को सान्द्रित कर ब्यालर में बैगास के साथ मिक्स कर ईधन में प्रयोग कर जला दिया जायेगा। इकाई से किसी भी तरह का उत्प्रवाह या गन्दा पानी परिसर के बाहर नहीं निकलेगा। इकाई शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति पर स्थापित की जायेगी।

.....4.....

प्रश्न 4– श्री जसकरन सिंह, ग्राम–गोविन्दपुरवा, लखीमपुर खीरी द्वारा पूछा गया कि इकाई में वायु प्रदूशण के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी ?

उत्तर– डा0 मनोज गर्ग, पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि चिमनी से धुयें को नियन्त्रित किये जाने हेतु वायु प्रदूशण नियंत्रण व्यवस्था के लिये ई0एस0पी0 लगायी जायेगी जोकि वायु प्रदूशण नियंत्रण की नवीनतम टैक्नालाजी है। ब्वायलर से जनित राख के लिये खाद बनाने हेतु ग्रेन्यूसन प्लाण्ट लगाया जायेगा, जिसे खाद बनायी जायेगी । स्थापित चिमनी की ऊंचाई 72 मी0 रखी जायेगी जिससे वायु प्रदूशण की समस्या आस–पास न हो।

प्रश्न 5– श्री अनिल दीक्षित, ग्राम–प्रधान,ग्राम–बसतौली, लखीमपुर खीरी द्वारा पूछा गया कि इकाई में विद्युत प्लाण्ट लग रहा है क्या इसकी बिजली हमें मिलेगी ?

उत्तर– श्री एन0के0 अग्रवाल, अधिषाशी अध्यक्ष, चीनी मिल द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई से उत्पादित बिजली को हम सीधे किसानों को नहीं दे सकते है। उत्पादित बिजली को हम विद्युत वितरण के ग्रीड में देते है। तत्पश्चात् विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की सप्लाई अन्य क्षेत्रों में की जाती है।

प्रश्न 6– श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम–राजपुर, खीरी द्वारा पूछा गया कि इकाई से निकलने वाली राख का क्या होगा ?

उत्तर– डा0 राम करन, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई से निकलने वाली राख को ग्रेन्यूसल प्लाण्ट लगाकर उसकी खाद बनायी जायेगी, जिसे किसानों को भी दिया जायेगा।

श्री अखिलेश यादव, उपजिलाधिकारी, गोला गोकर्णनाथ, जनपद–लखीमपुरखीरी ने उपस्थित जन समूह का स्वागत करते हुये अवगत कराया गया कि किसी भी उद्योग की स्थापना से पूर्व वहां के किसानों के विचारों को सुनना तथा इनकी आशंकाओं का समुचित निस्तारण करना अच्छी बात है। इससे भविष्य में समस्यायें कम होती है। किसी भी क्षेत्र के विकास एवं पर्यावरण में वरीयता दी जाये तो पर्यावरण ऊपर है तथा विकास को भी लेकर चलना पड़ता है। प्रदूषण पर एक आदर्श लाइन बनाकर सीमा के अंतर्गत रहते हुये विकास करना सही होता है। स्थानीय पर्यावरणीय दशाओं के आधार पर इस इकाई का चयन किया गया है। योजना बनी है तथा इससे सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उन्नयन के लिये आवश्यक है। एक इकाई लगने से लम्बी चेन प्रकिया के माध्यम से आस–पास के क्षेत्रों का विकास होता है। इकाई के संचालन से किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हो, जिससे जनसामान्य के स्वास्थ/क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव न पड़े। डा0 मनोज गर्ग, पर्यावरण सलाहकार द्वारा आश्वस्त किया गया कि सर आपके प्रस्ताव/सुझावों को सम्मिलित करेंगे।

जिलाधिकारी महोदय के विचार– जिलाधिकारी महोदय, श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह जी द्वारा– उपस्थित जन समुदाय का स्वागत करते हुये बधाई दी गयी कि यहां पर 160 किली0/दिन क्षमता की आसवनी इकाई तथा 08 मेगावाट को–जनरेशन प्लाण्ट लगाया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि रोटी सबसे पहली प्राथमिकता है तथा रोटी पानी के लिये रोजगार/कार्य/उद्योग का होना बहुत जरूरी है। यहां पर युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। जापान व कोरिया जैसे देश अपने हयूमन रिर्सोस पर बहुत ज्यादा खर्चा करती है। वर्तमान में चीनी उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है। चीनी के विक्रय मूल्यों में स्थिरता नहीं है। कोई भी उद्योग तभी तक चलता है जब़ तक नो प्राफिट नो लॉस तक रहे। सरकारे गन्ना के मूल्य का निर्धारण करती है परन्तु चीनी के मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। क्षेत्र में प्रति कृषक आय बढी है। जिले की चीनी मिले किसानों का भुगतान समय से कर रही है। जनपद में 2007 के बाद कोई चीनी मिल या अन्य बड़े उद्योग स्थापित नहीं हुये है। अब इन्ही चीनी मिलों में सह उत्पादन इकाई लग रही है, जिनके

उत्पाद से पेट्रोलियम के खरीद पर नियंत्रण किया जा सकेगा, जोकि विदेशों से आयात किया जाता है। ईधन के अन्य विकल्प बहुत महंगे है। अब तो शीरे की जगह सीधे गन्ने से इथेनाल बनाया जाने की पद्धति विकसित हो गयी है। जनपद की समस्त चीनी मिलें समृद्ध हो, जिससे किसानों का फायदा हो। सभी के सामान्जस्य से ही उद्योग लगाया जा सकता है, जिसमें मिल स्वामी, सरकारी विभाग, किसानों को सामान्जस्य बनाना पड़ता है। आप लोगों के विचार सुना, बहुत अच्छा लगा। इकाई को शीघ्र स्थापित कर उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ करें। आप सभी को बहुत–बहुत धन्यवाद। साथ ही उपस्थिति समस्त सम्मानित स्थानीय निवासियों का आभार व्यक्त करते हुये प्रस्तावित परियोजना की स्थापना हेतु सहमति व्यक्त की गयी ।

अन्त में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के क्षेत्रीय अधिकारी डा0 राम करन ने उपस्थित मुख्य अतिथि जिलाधिकारी लखीमपुरखीरी एवं उपस्थित समस्त जन समुदाय एवं अतिथियों का लोक सुनवाई को सुचारू रूप से निष्पादित करने में सहयोग के लिये धन्यवाद किया गया तथा आशा व्यक्त की गयी कि प्रस्तावित परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण कर संचालित हो जिससे आम जनमानस को लाभ मिल सके, साथ ही लोगो का आभार व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई प्रकिया समाप्त करने की घोषणा की गयी ।

(क) लोक सुनवाई के समय उपस्थित नागरिकों पदाधिकारियों/पैनल सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति संलग्न–1 के रूप में संलग्न है।
(ख) लोक सुनवाई की वीडियों की 02 सी.डी. संलग्न–2 के रूप में संलग्न है।
(ग) दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशित कतरन संलग्न–3 के रूप में संलग्न है।

26/04/2019
(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
लखनऊ

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी